

किसी श्रेणी विशेष में पंजीकृत ठेकेदार निम्न तालिका में अंकित कार्य सीमा से अनधिक को निविदा देने के लिए अधिकृत होंगे। (वर्गीकरण हेतु लोक निर्माण अनुभाग-1, शासनादेश संख्या- 2504 दिनांक 25 नवम्बर, 2003 के क्रम में लोक निर्माण अनुभाग-2, शासनादेश संख्या- 2611 दिनांक 26 अक्टूबर, 2007 के अनुसार संशोधित)

वर्गीकरण	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'डी'
1- क- भवन	असीमित	100 लाख	40 लाख	25 लाख
ख- सेतू	असीमित	100 लाख	40 लाख	25 लाख
ग- मार्ग	असीमित	100 लाख	40 लाख	25 लाख
2- सेनेट्री एवं वाटर सप्लाई	असीमित	2 लाख	1 लाख	0.25 लाख
3- विधुत कार्य	असीमित	2 लाख	1 लाख	0.50 लाख
4- यांत्रिक कार्य	असीमित	2 लाख	1 लाख	0.50 लाख

प्रत्येक श्रेणी में पंजीकरण हेतु न्यूनतम आवश्यक हैसियत।

(लोक निर्माण अनुभाग-1, शासनादेश संख्या- 2504 दिनांक 25 नवम्बर, 2003 के अनुसार)

वर्गीकरण	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'डी'
1- क- भवन	रु0 10 लाख	3 लाख	1 लाख	0.50 लाख
ख- सेतू	रु0 10 लाख	3 लाख	1 लाख	0.50 लाख
ग- मार्ग	रु0 10 लाख	3 लाख	1 लाख	0.50 लाख
2- सेनेट्री एवं वाटर सप्लाई	रु0 0.50 लाख	0.25 लाख	0.10 लाख	0.05 लाख
3- विधुत कार्य	रु0 1.00 लाख	0.50 लाख	0.10 लाख	0.05 लाख
4- यांत्रिक कार्य	रु0 1.00 लाख	0.50 लाख	0.10 लाख	0.05 लाख

प्रत्येक श्रेणी में पंजीकरण हेतु तालिका में दर्शाये गये कम से कम 5 कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण किये जाने का अनुभव होना चाहिए।

(लोक निर्माण अनुभाग-1, शासनादेश संख्या- 2504 दिनांक 25 नवम्बर, 2003 के अनुसार)

वर्गीकरण	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'डी'
1- क- भवन	रु0 10 लाख	5 लाख	1 लाख	0.25 लाख
ख- सेतू	रु0 10 लाख	5 लाख	1 लाख	0.25 लाख
ग- मार्ग	रु0 10 लाख	5 लाख	1 लाख	0.25 लाख
2- सेनेट्री एवं वाटर सप्लाई	रु0 0.25 लाख	0.10 लाख	0.05 लाख	-
3- विधुत कार्य	-	-	-	-
4- यांत्रिक कार्य	रु0 0.25 लाख	0.05 लाख	0.02 लाख	-

सामान्य जमानत धनराशि।

(लोक निर्माण अनुभाग-1, शासनादेश संख्या- 2504 दिनांक 25 नवम्बर, 2003 के अनुसार)

वर्गीकरण	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'डी'
1- क- भवन	रु0 1.00 लाख मुख्य अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रु0 30 हजार मुख्य अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रु0 10 हजार अधीक्षण अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रु0 5 हजार अधिशाली अभियन्ता के पक्ष में बन्धक
ख- सेतू	---तदैव---	---तदैव---	---तदैव---	---तदैव---
ग- मार्ग	---तदैव---	---तदैव---	---तदैव---	---तदैव---
2- सेनेट्री एवं वाटर सप्लाई	रु0 5 हजार मुख्य अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रु0 2 हजार मुख्य अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रु0 1 हजार अधीक्षण अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रु0 500/- अधिशाली अभियन्ता के पक्ष में बन्धक
3- विधुत कार्य	रु0 20 हजार मुख्य अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रु0 10 हजार मुख्य अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रु0 2 हजार अधीक्षण अभियन्ता (विधुत/यांत्रिक) के पक्ष में बन्धक	रु0 1 हजार अधिशाली अभियन्ता (विधुत/यांत्रिक) के पक्ष में बन्धक
4- यांत्रिक कार्य	रु0 20 हजार मुख्य अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रु0 10 हजार मुख्य अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रु0 2 हजार अधीक्षण अभियन्ता (विधुत/यांत्रिक) के पक्ष में बन्धक	रु0 1 हजार अधिशाली अभियन्ता (विधुत/यांत्रिक) के पक्ष में बन्धक

प्रत्येक श्रेणी में पंजीकरण करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी।

(लोक निर्माण अनुभाग-1, शासनादेश संख्या- 2504 दिनांक 25 नवम्बर, 2003 के अनुसार)

वर्गीकरण	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'डी'
1- क- भवन	मुख्य अभियन्ता स्तर-1 या क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता	क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता
ख- सेतू	---तदैव---	---तदैव---	---तदैव---	---तदैव---
ग- मार्ग	---तदैव---	---तदैव---	---तदैव---	---तदैव---
2- सेनेट्री एवं वाटर सप्लाई	---तदैव---	---तदैव---	---तदैव---	---तदैव---
3- विधुत कार्य	---तदैव---	---तदैव---	---तदैव---	---तदैव---
4- यांत्रिक कार्य	---तदैव---	---तदैव---	---तदैव---	---तदैव---

श्रेणी 'ए' मे पंजीकरण हेतु अनिवार्यतायें :-

- निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
- मुख्य अभियन्ता के पदनाम से बंधक सिक्कूरिटी । (रू0 1 लाख)
- जिला पंचायत का लाईसेन्स।
- हैसियत प्रमाण-पत्र (रू0 10 लाख) हैसियत सम्बन्धी शपथ पत्र के साथ।
- चरित्र प्रमाण पत्र।
- व्यापार कर प्रमाण।
- टी0 एण्ड पी0 सम्बन्धी शपथ पत्र।
- टी0 एण्ड पी0 प्रमाण पत्र।
- तकनीकी स्टाफ को कार्य पर रखने सम्बन्धी शपथ पत्र।
- तकनीकी स्टाफ का ठेकदार/फर्म के साथ कार्य करने सम्बन्धी शपथ पत्र।
- पेन कार्ड की प्रति।
- 10 लाख के 5 कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र।
- यदि पार्टनशिप है तो पार्टनर शिप डीड शपथ पत्र।
- पावर ऑफ अटोर्नी।
- समस्त प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होने चाहिए।
- फोटो 5 नं0 प्रमाणित।

श्रेणी 'बी' मे पंजीकरण हेतु अनिवार्यतायें :-

- निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
- मुख्य अभियन्ता के पदनाम से बंधक सिक्कूरिटी । (रू0 30 हजार)
- जिला पंचायत का लाईसेन्स।
- हैसियत प्रमाण-पत्र (रू0 3 लाख) हैसियत सम्बन्धी शपथ पत्र के साथ।
- चरित्र प्रमाण पत्र।
- व्यापार कर प्रमाण।
- टी0 एण्ड पी0 सम्बन्धी शपथ पत्र।
- टी0 एण्ड पी0 प्रमाण पत्र।
- तकनीकी स्टाफ को कार्य पर रखने सम्बन्धी शपथ पत्र।
- तकनीकी स्टाफ का ठेकदार/फर्म के साथ कार्य करने सम्बन्धी शपथ पत्र।
- पेन कार्ड की प्रति।
- 5 लाख के 5 कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र।
- यदि पार्टनशिप है तो पार्टनर शिप डीड शपथ पत्र।
- पावर ऑफ अटोर्नी।
- समस्त प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होने चाहिए।
- फोटो 5 नं0 प्रमाणित।

श्रेणी 'सी' मे पंजीकरण हेतु अनिवार्यतायें :-

- निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
- अधीक्षण अभियन्ता के पदनाम से बंधक सिक्यूरिटी । (रु0 10 हजार)
- जिला पंचायत का लाईसेन्स।
- हैसियत प्रमाण-पत्र (रु0 1 लाख) हैसियत सम्बन्धी शपथ पत्र के साथ ।
- चरित्र प्रमाण पत्र।
- व्यापार कर प्रमाण।
- टी0 एण्ड पी0 सम्बन्धी शपथ पत्र।
- टी0 एण्ड पी0 प्रमाण पत्र।
- तकनीकी स्टाफ को कार्य पर रखने सम्बन्धी शपथ पत्र।
- तकनीकी स्टाफ का टेकदार/फर्म के साथ कार्य करने सम्बन्धी शपथ पत्र।
- पेन कार्ड की प्रति।
- 1 लाख के 5 कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र।
- यदि पार्टनशिप है तो पार्टनर शिप डीड शपथ पत्र।
- पावर ऑफ अटोर्नी।
- समस्त प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होने चाहिए।
- फोटो 4 नं0 प्रमाणित।

श्रेणी 'डी' मे पंजीकरण हेतु अनिवार्यतायें :-

- निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
- अधिशासी अभियन्ता के पदनाम से बंधक सिक्यूरिटी । (रु0 5 हजार)
- जिला पंचायत का लाईसेन्स।
- हैसियत प्रमाण-पत्र हैसियत सम्बन्धी शपथ पत्र के साथ । (रु0 50 हजार)
- चरित्र प्रमाण पत्र।
- व्यापार कर प्रमाण।
- पेन कार्ड की प्रति।
- 25 हजार के 5 कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र।
- समस्त प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होने चाहिए।
- फोटो 4 नं0 प्रमाणित।

(लोक निर्माण अनुभाग-2, शासनादेश संख्या- 2611 दिनांक 26 अक्टूबर, 2007 के अनुसार तकनीकी स्टाफ हेतु मानदंड) :-

- (क) रू0 25 लाख की सीमा तक के कार्य-किसी तकनीकी स्टाफ/अभियन्ता की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ख) रू0 25 लाख से रू0 100 लाख की सीमा तक के कार्य-एक डिप्लोमाधारक तकनीकी अभियन्ता का होना आवश्यक होगा।
- (ग) रू0 100 लाख से 500 लाख तक की सीमा तक के कार्य-एक डिग्रीधारी अभियन्ता एवं एक डिप्लोमाधारक अभियन्ता का होना आवश्यक होगा।
- (घ) रू0 500 लाख से अधिक के कार्य- एक डिग्रीधारक अभियन्ता एवं दो डिप्लोमाधारक अभियन्ताओं का होना आवश्यक होगा।